अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. ...2/17/19...   तारीख रजू...5/02/19...

रामेश्वर बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2019	वकील सायला उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील सायला ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 1114,1115,1121,1124,1127,1128,1129 वाके ग्राम कंचनपुरा तहसील कठूमर में विवादित आराजियात की रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.03.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 26.03.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	14/ 6/2/19
26.3.19	वकीलान उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1,11 तथा अप्रार्थी सं. 13 की ओर से जवाब दावा पेश किया। P.O. का उपखंड मीटिंग में पधारे है पत्रावली दिनांक 18/5/19 को पेश हो [signature] SDO/C	निशान रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार की तारी[illegible]
17/9/24	वकुलाय उप० । प्रावली नजदीक तारीख पेशी पर तलब होकर पेश हुई । प्रार्थना-पत्र नजदीक तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गयी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । पत्रावली दिनांक 24-9-24 को पेश हो । SDM	
24/9/24	आज कोरोकन उप०/P.O बहस [illegible] 24 पत्रावली दिनांक 30/9/24 को पेश हो। [signature]	
30/9/24	वकुलाय कोरोकन उप०/P.O बहस [illegible] पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो। [signature]	
~~28/10/24~~	पत्रावली Pg-KS केस कोर्ट में पेश हुई अवकाश........ .... [signature] .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 28/11/24 को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28/11/24	पत्रावली आज पेश हुई वकुलाय उप० । सायल / गैरसायल की ओर से लिखित बहस पेश की प्राप्त कि की गई । पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/12/24 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील हाजिर । अप्रार्थी उप० / प्रार्थी चारागाह भूमि साबित करने में असफल रहे । उनका प्रार्थना पत्र चारागाह साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है । निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्राप्त कि किया पत्रावली मौका मुआयना हो बन्दोबस्त कार्यालय दाखिल रिकॉर्ड रहे । [illegible] SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

नम्बर व तारीख अहकाम ओ की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 17 / 2019

वउनवान

1. रामेश्वर पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

सायल

बनाम

1. रामदयाल पुत्र मूला जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
2. हरीराम पुत्र मूला जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
3. भरतलाल पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
4. आराम पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
5. कमल पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
6. जमनालाल पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
7. जयप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
8. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
9. उगन्ती पत्नी श्रीराम जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
10. मुखलेश उर्फ गुडडी पुत्री श्रीराम पत्नी पीतराम जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर हालवासी मीना नागल तहसील महवा जिला दौसा
11. किशन पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
12. रमेशचन्द पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
13. हबडू पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील कठूमर
14. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री गिरधारीलाल भार्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री तेजसिंह राठी – अधिवक्ता गैरसायलसं0 13 की ओर से

आदेश

दिनांक 27.12.2021

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1114, 1115, 1121, 1124, 1127, 1128, 1129 ग्राम कंचनपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायल एंव गैरसायलान की भाामलात कब्जे काश्त खातेदारी की अवट आराजी है। जिसका अभी कानूनी तकसमा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर सायल, गैरसायलान भाामलात में काविज रहकर काश्त करते है। उक्त आराजी का कोई हिस्सा बंटा हुआ नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी पर शामलात में काश्त को लेकर बाधा पैदा करते है। विवादित आराजी पर शामलात काश्त को लेकर पक्षकारान के मध्य आपस में मनमुटाव इस कदर बढ गये है कि विवादित आराजी पर किसी भी सूरत में शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल अपने हिस्सा की आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है तथा अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है। गैरसायलान ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा के लिये साफ इन्कार कर दिया है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा कानूनी तकासमा कराये विना दीगर लोगों के रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करना चाहते है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 व गैरसायल सं0 11 ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपना ईकवाल जवाव पेश किया है। गैरसायल सं0 13 ने अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वावत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। विवादित आराजी का सायल एंव गैरसायलान ने आपसी सहमति से अर्सा करीब 40–42 साल पहले से घरू वंटवारा कर रखा है मुताविक घरू वंटवारा पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर का त कर रहे है तथा मौके पर कब्जे का त में है।सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार का तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। एक सहखातेदार का तकार को स्टे आदेश से पाबन्द नही किया जा सकता। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

गैरसायल सं0 04.05.06.08.10 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 25.09.2021 की आर्डर सीट के अनुसार गैरसायल सं0 12 जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहता।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2076व नक्शा ट्रेस वाके ग्राम कंचनपुराकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता सायल व विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 13 ने लिखित वहस पेश की हैं जो भाामिल पत्रावली है। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी लिखित वहस में कथन किया कि विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हुआ है हाल जमाबन्दी में विवादित आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने को मना कर दिया है तथा गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये रहन वय करना चाहते है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। गैरसायल सं0 13 ने अपनी लिख्ति वहस में कथन किया कि विवादित आराजी आज से करीब 40–42 साल पहले आपसी सहमति हुई है विवादित आराजी अवट ना होकर वंटी है। मुताविक घरू वंटवारा विवादित आराजी पर अपने अपने हिस्से पर का त हो रही है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं हो रही है। गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार का तकार है जिसे पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित कराने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

प्रथम दृश्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस पर मनन किया।सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस पेश किये है। जमाबन्दी के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अनुसारविवादित आराजी सायल एव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्जहै। सायल ने विवादित आराजी को अवट व शामलात खातेदारी की होना कथन किया हे जवकि गैरसायल ने विवादित आराजी का पुराने समय से घरू तौर पर बंटा होना कथन किया है। विवादित आराजी वंटी है या अवट ये तथ्य तो मूल दावा में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जावेगे। गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है यदि गैरसायल को पाबन्द कर दिया गया तो उसे अपार हानि असुविधा व क्षति होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान हो रहा हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावितना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है।सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 05.02.2019 को वेकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 27.12.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)